उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड

यूपीएसआईडीसी काम्प्लेक्स,
ए–1/4, लखनपुर,
पोस्ट बाक्स नं0 1050,
कानुपर–208 024
फोन : 2582851–53(PBX)
फैक्स : 0512–2580797
Website: www.upsidc.com
E. Mail : feedback@upsidc.com

मेसर्स आर0एम0एस0 बिल्डर्स प्रा0लि0,
सी–5बी/7ए, जनकपुरी,
नई दिल्ली–110058

पजीकृत

पत्र स0 102-104 एसआईडीसी/एटीपी दिनांक 23-05-2016

महोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 23.09.2015/30.09.2015 के संदर्भ में औद्योगिक क्षेत्र ट्रान्स दिल्ली सिग्नेचर सिटी के सेक्टर सी–5 के भूखण्ड सं0 जीएच में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भवन निर्माण के लिये प्रस्तुत पुनरीक्षित भवन मानचित्रों पर पूर्व में स्वीकृत मानचित्र एटीपी अनुभाग के पत्र संख्या 9–11 दिनांक 07.02.2014 के कम में निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. यह कि मानचित्र स्वीकृति तिथि से केवल 05 वर्ष वैध है लेकिन उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 द्वारा आपके पक्ष में आवंटन/पट्टा विलेख की अन्य शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।
2. सभी नियम/अनुमति जो उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में लागू हैं अनुमन्य होंगे।
3. उक्त अनुमोदन की सूचना सार्वजनिक सूचना के माध्यम से प्रसारित की जाएगी एवं आपत्तियों का निराकरण नियमानुसार किया जायेगा, तत्सम्बन्धित प्रकिया के लिये आवंटी बाध्य होगा।
4. परियोजना अधिकारी कार्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आवंटी कम्पनी से अवस्थापना उच्चीकरण शुल्क रू0 100/–प्रति वर्ग मी0 की दर से आवंटित क्षेत्रफल पर 30 दिन के अन्दर परियोजना कार्यालय गाजियाबाद में जमा करवाना होगा। भविष्य में इस मद की गणना में अवशेष धनराशि पाये जाने की दशा में आपको भुगतान पुनः करना होगा।
5. भवन निर्माण से सम्बन्धित आपत्तियों जैसे ईआईए से सम्बन्धित अनापत्ति/क्लीयरेन्स प्रमाण, स्ट्रक्चरल ड्राइंग अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं मलबा हेतु शपथ पत्र स्वीकृत पत्र निर्गत की तिथि से निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व परियोजना कार्यालय ट्रान्स दिल्ली सिग्नेचर सिटी गाजियाबाद में जमा कराना होगा।
6. भविष्य में यदि विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के आपको देय होगा।
7. मानचित्र की स्वीकृति से सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय (जैसे नगर निगम, जीडीए) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टेड) नहीं होगा।
8. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
9. जो क्षेत्र विकास कार्य के लिये उपयुक्त नहीं होगें वहॉ शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय के विकास कार्य करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
10. दरवाजे व खिडकियॉ इस तरह से लगाये जायेगें कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सडक की ओर बढाव (प्रोजेक्टेड) न हों।
11. बिजली की लाइन के 5 फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नही किया जायेगा।

12. दरवाजे व खिडकियॉ इस तरह से लगाये जायेगें कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढाव (प्रोजेक्टेड) न हों।
13. बिजली की लाइन के 5 फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
14. सड़क, सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मेटेरियल) नही रखा जायेगा तथा गन्दे पानी के निकासी का पूर्ण प्रबन्ध आप द्वारा स्वयं करना होगा।
15. स्वीकृति मानचित्रों का सेट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जॉच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों, विशिष्टियों तथा नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की जिम्मेदारी आप स्वंय की होगी।
16. मानचित्र उ0प्र0 नगर योजना एवं अधिनियम–1973 एवं यूपीसीडा–2004 की शर्तें आपकों मान्य होंगी।
17. सड़क पर अथवा बैक लेन में कोई रैम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाया जायेगा। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
18. वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना एवं भूकम्परोधी प्राविधान की जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।
19. भूगर्भ जल संरक्षण, संचयन एवं रिचार्जिंग इत्यादि प्रकरणों में भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 के मानकों का अनुपालन आप द्वारा सुनिश्चित करना होगा।
20. अग्निशमन विभाग द्वारा लगाई गयी सभी शर्तो का अनुपालन आप द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
21. 'भवन' को प्रयोग में लाने से पूर्व अग्निशमन विभाग का स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र आप द्वारा प्राप्त कर परियोजना कार्यालय ट्रान्स दिल्ली सिग्नेचर सिटी गाजियाबाद में प्रस्तुत करना होगा।
22. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन आप द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
23. स्ट्रक्चरल डिजाइन, भूकम्प रोधी मानकों को ध्यान में रखते हुये IS CODE OF PRACTICE के अन्तर्गत आने वाली सभी शर्तो का पालन आप द्वारा किया जायेगा एवं उसकी एक प्रति परियोजना कार्यालय के माध्यम से मुख्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।
24. भू–तल पर दर्शाया गया अनाच्छादित पार्किंग के किसी भाग से (रैम्प, जीना इत्यादि) न्यूनतम 6 मीटर दूरी बनाकर प्राविधानित किया जाना आवश्यक होगा ताकि अग्निशमन यान के परिक्रमा के लिये पथ अवरोधित न रहें इस पटि्टका में LANDSCAPE FEATURES अनुमन्य नहीं होगा।
25. पर्यावरण की दृष्टि से उ0प्र0 राज्य वन नीति अधिनियम के अनुसार भूखण्ड पर आप द्वारा 50 पेड प्रति हेक्टेयर की दर से लगाना अनिवार्य होगा।
26. आप द्वारा उक्त भूखण्ड Soil Testing Report अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–3, ट्रान्स दिल्ली सिग्नेचर सिटी गाजियाबाद में प्रस्तुत करना होगा।
27. बेसमेंट की खुदाई करने से पूर्व खनन विभाग, जिलाधिकारी कार्यालय, गाजियाबाद से अनुमति लेना आवश्यक होगा, जिसकी प्रति परियोजना कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
28. परिसर में उपयुक्त/नियमानुसार उचित क्षमता के–
    - सीवरेज टैंक
    - विद्युत उपलब्धता हेतु विद्युत सबस्टेशन/सोलर पैनल संयंत्र/डीजी
    - जल संचय संयंत्र
    - सभी अवस्थापना से सम्बन्धित विकास भूखण्ड/परिसर में सेटबैक अथवा अग्निशमन यातायात पथ में बाधक नहीं होने चाहिए।
29. बेसमेंट को रिहायसी उपयोग में नहीं लाया जा सकेगा तथा बेसमेंट में शौचालय या रसोई घर का निर्माण अनुमन्य नहीं है।
30. बेसमेंट का प्रयोजन मात्र घरेलू सामान, अज्वलनशील पदार्थ या अन्य सामान का भण्डारण, डाकरूम, कोषकक्ष, बैंकसेलर, वातानुकूलन उपकरण, पार्किंग तथा गैराज एवं स्टोर लाइब्रेरी हेतु अनुमन्य होगा। बेसमेंट मे वर्किंग हॉल में अनुमन्य नहीं होगा।
31. बेसमेंट में पर्याप्त (Ventilation) सुनिश्चित किया जायेगा।
32. बेसमेंट हेतु यूपीसीडा की भवन विनियमन, 2004 के में दिये गये प्रावधानों के अनुसार करना होगा।

33. सतह का पानी बेसमेंट में प्रवेश न करने पाये, इस हेतु व्यवस्था करनी होगी।

34. इस स्वीकृत के अतिरिक्त कराये गये ऐसे निर्माण जो शमनीय होंगे उस पर शमनीय शुल्क देय होगा लेकिन अवैध निर्माण जो उपविधि अथवा निर्देशों के विपरीत हों अथवा उनकी स्वीकृति नहीं दी गयी है इस पत्र के निर्गत तिथि से 30 दिन के अन्दर आप द्वारा स्वयं ध्वस्त कराना होगा।

उपरोक्त भुखण्ड का एक सेट स्वीकृत भवन मानचित्र संलग्न है, भवन निर्माण कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना प्रमाण पत्र प्राप्त किए भवन को उपयोग में नही लाया जाऐगा।

भवदीय,

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(अरूण मिश्रा)
मुख्य अभियन्ता

दिनांक

पृष्ठांकन सं0 एसआईडीसी / एटीपी /

प्रतिलिपि:

1 परियोजना अधिकारी, यूपीएसआईडीसीलि0, ट्रान्स दिल्ली सिग्नेचर सिटी गाजियाबाद को उनके पत्र सं0 5537 दिनांक 05.10.2015 के कम में स्वीकृत मानचित्र की प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न होने पर मुख्यालय को वस्तुस्थिति से अवगत करायें।

2 अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–3, यूपीएसआईडीसी लि0, ट्रान्स दिल्ली सिग्नेचर सिटी गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि भवन निर्माण कार्य समाप्त होने पर सम्पूर्णता प्रमाणपत्र हेतु अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

(अरूण मिश्रा)
मुख्य अभियन्ता